पत्र संख्या-7/नीति (क्रिमीलेयर)-07/2002 का॰ 7906 3/3

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

फि देलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/
अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

राँची, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत करने, क्रिमीलेयर की पहचान आदि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु निम्नांकित परिपत्र संलग्न है :-

1॰ बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक- 17 दिनांक 06॰02॰1994 के साथ अनुलग्नक की छायाप्रति संलग्न है ।

2॰ विभागीय संकल्प संख्या 3482 दिनांक 10॰06॰2002 को छायाप्रति संलग्न है

3॰ विभागीय पत्रांक 7097 दिनांक 30॰10॰2009 के साथ संलग्न भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का पत्र संख्या 36033/3/2004-स्था॰ (आरक्षण) दिनांक 14॰10॰2008 की छाया प्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

7-12-2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कृष्ण/

पत्र सं0-7/भा0स0प्र0-17-08/2008 का0 7097 3/13.11

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

विनय प्रकाश वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड ।

रांची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0 बी0 सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 का0-3482 दिनांक-10.6.2002 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के ज्ञापांक-36033/3/2004- स्था0(आरक्षण) दिनांक-14.10.2008, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के द्वारा क्रीमीलेयर की पहचान संबंधी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । इस विभाग के पत्रांक-6903 दिनांक-12.12.2008, पत्रांक-701 दिनांक-30.1.2009 एवं पत्रांक-1992 दिनांक-26.3.09 के द्वारा भी उक्त पत्र की प्रति पूर्व में भेजी जा चुकी है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखण्ड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/भा0स0प्र0-17-08/2008 का0 7097/रांची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 दिनांक-14.10.2008 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

जफर/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण).
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियां ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(4)

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

राँची, दिनांक- जून, 2002.

विषयः- पिछड़े वर्गों में कीमी लेयर की पहचान के संबंध में ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा- 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

2. संविधान की धारा-16(4) के प्रावधानों में अंकित आरक्षण के लाभ के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्गों में "कीमी लेयर" को बाहर रखते हुए ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य की जाय ।

3. भारत सरकार ने उक्त "काईटेरिया" संकल्प संख्या-36012/22/93 दिनांक- 08 सितम्बर, 1993 द्वारा परिचारित किया है जो संकल्प की अनुसूची परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न किया गया है ।

4. झारखंड में "कीमी लेयर" की पहचान के लिए भारत सरकार के संकल्प संख्या- 36012/22/93 दिनांक-08.09.93 की अनुसूची को यथावत् अंगीकृत किया जाता है एवं तदनुसार उसमें निर्धारित काईटेरिया पूर्ण रूपेण लागू होगा ।

5. भारत सरकार द्वारा भविष्य में इस नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो झारखंड में भी वह यथावत् लागू माना जाएगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

10.6.2002

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।